न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0 कक्ष सं0–2, प्रतापगढ़।

उपस्थित :–रचना सिंह, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)
मूलवाद सं0:– **216/2005**

1 राम बोध विश्वकर्मा सुत मुनेश्वर नि0 मो0 अजीत नगर, मकान नं0 74/पी0 , पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

2 करूणेशनारायण पाण्डेय सुत रामदुलार पाण्डेय नि0 37– भदरी हाउस, कचेहरी रोड, सिविल लाइन्स पर0 त0 सदर, जिला प्रतापगढ़।

3 रामसेवक विश्वकर्मा सुत सूर्यबली विश्वकर्ता निवासी मो0 मीराभवन पर0 त0 सदर, जिला प्रतापगढ़।

4 सईद अहमद सुत सैयद साविर हुसैन नि0 शंकरदयाल रोड़, मकन्दूगंज पर0त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

5 उदय बहादुर सिंह सुत तजगेशर सिंह (मृतक दौरान मुकदमा)

5/1 राजेश कुमार सुत उदय बहादुर सिंह नि0 153ब, पल्टन बजार पर0 त0 सदर, जिला प्रतापगढ़।

5/2 रूपेश कुमार सुत उदय बहादुर सिंह नि0 153ब, पल्टन बजार पर0 त0 सदर, जिला प्रतापगढ़।

6 अब्दुल जब्बार सुत अब्दुल रहमान नि0 63/8 हादीगंज पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

7 लालमणि पाण्डेय सुत रामनरेश नि0 ग्राम पूरेरामदत्त पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

––वादीगण

बनाम

1 त्रिपुरारी पाण्डेय सुत स्व0 कृष्णमुरारी पाण्डेय निवासी मो0 सिविल लाइन्स कचेहरी रोड (रामनिवास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

2 अशोक कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्णमुरारी पाण्डेय निवासी मो0 सिविल लाइन्स कचेहरी रोड (रामनिवास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

3 विनोद कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्णमुरारी पाण्डेय निवासी मो0 सिविल लाइन्स कचेहरी रोड (रामनिवास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

4 प्रमोद कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्णमुरारी पाण्डेय निवासी मो0 सिविल लाइन्स कचेहरी रोड (रामनिवास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

5 वीरज कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्णमुरारी पाण्डेय निवासी मो0 सिविल लाइन्स कचेहरी रोड (रामनिवास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

6 विभूति कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्णमुरारी पाण्डेय निवासी मो0 सिविल लाइन्स कचेहरी रोड (रामनिवास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

7 बल्लू पाण्डेय सुत स्व0 कृष्णमुरारी पाण्डेय निवासी मो0 सिविल लाइन्स कचेहरी रोड (रामनिवास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर0 त0 सदर जिला प्रतापगढ़।

——प्रतिवादीगण

वादः—स्थाई निषेधाज्ञा

एक पक्षीय निर्णय

वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया है। संक्षेप में वादीगण का कथन इस प्रकार है कि वादग्रस्त दुकानों का विवरण वादपत्र के अन्त में दिए गए नक्शानजरी में क्रमसंख्या 1 ता 9 से दर्शित है, जिनमें दुकान नं01 व दुकान नं07 को छोड़कर सभी दुकानों के किराएदार हैं। उक्त वादग्रस्त दुकानें मोहल्ला सिविल लाइन्स कचेहरी रोड, पर0 तह0 सदर, जिला प्रतापगढ़ में स्थित है। वादग्रस्त दुकानों का निर्माण प्रतिवादीगण के पितामह स्व0 माता बदल पाण्डेय व पिता स्व0 कृष्ण मुरारी पाण्डेय द्वारा अरसा करीब 30—35 साल पूर्व कराया गया था और उक्त निर्माण विजनेस काम्पलेक्स के रूप में विकसित किया गया है। दुकान नं01 (पूरब से पश्चिम) प्रतिवादी सं02 के कब्जे में अरसे से चल रही थी, जिसमें उसके द्वारा आटा—चक्की, रूई धुनाई आदि का कार्य किया जाता रहा है। अब इस समय उसे पी0सी0ओ0 के लिए एक अन्य किराएदार जगदीश को दे दिया है, जिसपर पी0सी0ओ0 का कार्य किया जा रहा है। वादी नं01 दुकान नं02 का किराएदार है और इस दुकान को प्रतिवादीगण के पितामह स्व0 माताबदल पाण्डेय द्वारा दिनांक 01.11.1977 को मेसर्स कलकत्ता आयरन यन्त्र वर्क्स के नाम से किराए पर दी गई। किराए पर दुकान लेने के पूर्व ही दिनांक

30.03.1977 को उक्त वादी ने अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर दिया था। इस समय वादी नं01 ने अपने उक्त प्रतिष्ठान का नाम बदलकर महेन्द्र ट्रेडर्स कर लिया है और किराए पर उक्त दुकान लेने के पश्चात ही वादी उपरोक्त अपनी उक्त दुकान में लोहे की खिड़की दरवाजे, ग्रिल व वेल्डिंग आदि का कार्य करता आ रहा है। उक्त वादी को किराए पर दुकान देने के समय ही प्रतिवादीगण के पितामह स्व0 माता बदल पाण्डेय ने 100/– प्रतिमाह की किराएदारी का इकरारनामा रूवरू गवाहान लिखर मु0 तीन हजार रूपया बतौर पेशगी लिया था बादहू यह किराया इस समय मु0 600/– माहवार हो गया है। पिछले माह वादी नं01 ने मु0 600/– बतौर किराया प्रतिवादीगण को अदा किया था और इसके पूर्व का भी समस्त किराया प्रवितादीगण व उनके पूर्वाधिकारियों को अदा किया जा चुका है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपस में सदैव विश्वास, प्रेम व सदभाव रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण व उनके पितामह, पिता द्वारा कभी भी वादी नं01 के किराएदारी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया और वादी दिनांक 01.11.1977 से लगातार उक्त दुकान पर काबिज दखील हो अपना व्यापार करता आ रहा है। वादी सं02 दुकान नं02 का किराएदार है। उक्त दुकान की किराएदारी का इकरारनामा प्रतिवादीगण के पिता स्व0 कृष्ण कुमार पाण्डेय द्वारा रूवरू गवाहान किया गया। उक्त किरायेदारी दिनांक 08.08.1987 से चल रही है, जिसका किराया पूर्व में मु0 390/– प्रतिमाह था लेकिन इस समय किराए की धनराश्यि मु0 600/– मासिक हो गयी है। वादी नं02 ने अपनी उक्त दुकान में दवा विक्रय का व्यापार करता है और उक्त दुकान को दीपक मेडिकल स्टोर्स प्रतिष्ठान के रूप में विकसित किया है जिसकी इस क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा भी है। वादी उपरोक्त ने भी विगत माह तक का किराया प्रतिवादीगण को अदा कर चुका है। वादी नं02 के पक्ष में प्रतिवादीगण के पिता द्वारा इकरारनामा के समय ही गवाहान के समक्ष मु0 तीन हजार रूपए बतौर पेशगी लिया गया था। लेकिन उक्त पेशगी धनराशि को मोजराई किराया में नहीं की गई है और उक्त जमानत धनराशि प्रवितादीगण के पास सुरक्षित है। वादी नं03 प्रश्नगत दुकान नं0 4 का किराएदार नवम्बर 1979 से है। प्रतिवादीगण

के पितामह स्व0 माताबदल पाण्डेय के समय से ही किराएदार हैं। किराएदारी उक्त माता बदल पाण्डेय द्वारा मौखिक रूप से 60/- माहवार की दर से तय की गई थी जो अब 600/- माहवार हो गई है। शुरू से लेकर आखिर माह तक का किराया प्रतिवादीगण को अदा किया जा चुका है। नवम्बर 1979 से आज तक लगादार वादी उपरोक्त अपनी दुकान नं04 पर काबिज दखील है और शुरू से ही घड़ियों की मरम्मत, सुधार व नई घड़ियों के विक्रय का व्यवसाय करता आ रहा है। प्रतिवादीगण ने किराए अदायगी की रसीदें कभी देते कभी व्यवहार व आपसी विश्वास के कारण नहीं दिए लेकिन लगातार उक्त दुकान पर दुकानदारी करते हुए वादी उपरोक्त का विश्वास भी प्रतिवादीगण के प्रति दृढ़ हो गया था। वादी सं04 दुकान नं05 का किराएदार है। दिनांक 10.03.1978 से स्व0 माताबदल पाण्डेय, पितामह (प्रतिवादीगण) के जीवनकाल से 100/- माहवार की दर से किराएदार है। उक्त स्व0 माताबदल पाण्डेय द्वारा पेशगी के रूप में मु0 3500/- वादी से लिया था। वादी अपनी उक्त दुकान में घड़ी मरम्मत, विक्रय के साथ ही लोहे के बक्से से आलमारी आदि के विक्रय का भी व्यवसाय करता आ रहा है। वादी ने अपने उक्त प्रतिष्ठान का नाम भी '' पिंक वाच कम्पनी'' के रूप में विकसित किया है। वादी की उक्त दुकान की किराएदारी वर्तमान में मु0 600/- प्रतिमाह की दर से हो गई है। वादी द्वारा प्रतिावादीगण को पिछले माह तक के किराए का भुगतान कर चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा रकम अदाएगी की रसीद, अथवा इकरारनामें के समय विस्तार के विषय में वादी द्वारा कहने पर, आपसी विश्वास, व प्रेम के आधार पर न तो रसीद किराया और न इकरारनामा के समय विस्तार किया। प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों की आपसी सहमति के आधार पर आज तक प्रतिवादी अपनी उक्त दुकान पर काबिज हो अपना व्यवसाय करता आ रहा है। वादी नं05 दुकान सं06 का किराएदार रहे है और दिनांक 28.12.78 से स्व0 माताबदल पाण्डेय (पितामह प्रतिवादीगण) के जमाने से 100/- माहवार की दर से किराएदार रहे हैं जो इस समय मु0 500/- प्रतिमाह की दर से हो गया है। उक्त स्व0 माताबदल पाण्डेय द्वारा बतौर पेशगी मु0 3500/- सन् 1978 में ही लिया गया है, जिसमें 50/- माहवार

मोजराई कराना भी निश्चित हुआ था। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को विगत माह तक के किराए का भुगतान किया जा चुका है। वादी अपनी उक्त दुकान में विस्कुट का व्यापार '' संजय विस्कुट भण्डार '' के रूप में करने का व्यवसाय करता रहा। लेकिन इस समय बक्से, आलमारी आदि के विक्री का व्यवसाय करता रहा है। प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों की सहमति से आज भी वादी उक्त अपनी दुकान पर अपना व्यवसाय कर रहा है। दौरान मुकदमा पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण 5/1 व 5/2 उन्ही की भांति किराएदार एवं काबिज हैं। वादी सं06 अपनी दुकान नं0 8 का किराएदार है। दिसम्बर 1979 से वादी अपनी उक्त दुकान में घड़ी मरम्मत, तैयार बक्से आदि का व्यवसाय करता है। पहले इसका किराया 50/– था। इस समय इसका किराया बढ़कर 500/– हो गया है जो विगत माह में प्रतिवादीगण को दिया गया था। इसके पूर्व का भी किराया अदा किया जा चुका है। वादी व प्रतिवादीगण के पितमाह स्व0 माताबदल पाण्डेय के जामाने से ही किराएदार है वादी की किराएदारी प्रतिवादीगण के पितामह द्वारा दिनांक मौखिक रूप से 50/– माहवारी की दर से तय की गई थी, जिसपर प्रतिवादीगण की सहमति व स्वीकृति रही है, जिसके आधार पर वादी दिसम्बर 1979 से अपनी प्रश्नगत दुकान पर काबिज रहकर लगातार अपना उक्त व्यवसाय करता आ रहा है। वादी अपनी प्रश्नगत दुकान नं09 का दिनांक 10.11.78 से किराएदारी है। वादी किराएदारी का इकरारनामा प्रतिवादीगण के पितामह स्व0 माताबदल पाण्डेय के द्वारा 100/– माहवार के हिसाब से किया गया था। अब यह किराया बढ़कर 500/– माहवार हो गया है। विगत महीनों का किराया प्रतिवादीगण को अदा किया जा चुका है। पूर्व का भी सब किराया अदा है। इकरारनामा किराएदारी के समय भी मु0 3500/– पेशगी अदा किया गया था जिसमें 50/– प्रतिमाह की मोजराई किराए के साथ हो चुका है। प्रतिवादीगण अपनी प्रश्नगत दुकान नं09 में बतौर बक्सा, आलमारी व अटैची झोले आदि का व्यवसाय करता है। प्रतिवादीगण की सहमति व स्वीकृति से ही वादी दिनांक 10.11.78 से लगातार आज तक व्यवसाय करता आ रहा है। इसप्रकार सभी वादीगण, प्रतिवादीगण के पुराने किराएदार हैं। जिन वादीगण के पक्ष में किराएनामा का एग्रीमेण्ट

लिखा गया था। उनकी अवधि बहुत कम रखी गई थी, किन्तु इस अवधि के व्यतीत होने के बाद भी वादीगण प्रतिवादीगण उनके पिता व पितामह की सहमति से आजतक प्रश्नगत दुकानों पर काबिज है। व्यापार कर रहे हैं और बार–बार कहने के बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई नया एग्रीमेण्ट किराया की बावत नहीं लिखा गया किन्तु प्रतिवादीगण व उनके पूर्वाधिकारियों की मौखिक अनुमति व सहमति से वादीगण को प्रश्नगत दुकानों पर बतौर किरायेदार काबिज रहने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वादीगण आजतक प्रश्नगत दुकानों के बैधानिक किराएदार है एवं उसपर काबिज हैं। प्रतिवादीगण द्वारा आज तक वादीगण की किराएदारी किसी नोटिस द्वारा समाप्त नहीं की गई है न ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विरूद्व एक्ट नं0 13, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत दुकान अवमुक्त कराने की कोई कार्यवाही की गई है। प्रतिवादीगण अधिक लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से बलात एवं अबैध रूप से दुकानों को खाली कराना चाहते हैं और प्रश्नगत दुकानों को इरादतन तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं जिससे उक्त दुकानें जल्द ही खाली हो सके। इस आशय की धमकी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.04.05 से बराबर दी जा रही है। जिससे वर्तमान वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व डिग्री सर्वकालीन निषेधाज्ञा की देते हुए उन्हे सर्वदा के लिए मना कर दिया जावे कि वे अबैध रूप से व विधि विरूद्व प्रक्रिया अपनाकर वादीगण को प्रश्नगत दुकानों से बलात बेदखल न करे। वादीगण के कब्जा–दखल में तथा प्रश्नगत दुकानों में वादीगण के प्रतिष्ठानों के संचालन में बाधा उत्पन्न न करें तथा अबैध रूप से दुकानों को क्षतिग्रस्त न करे तथा यथास्थित कायम रखे।

प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामीला सम्यक रूप से करायी गयी। सम्यक तामीली के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा न तो अपना लिखित कथन दाखिल किया और न ही कोई उपस्थित हुआ, तत्पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2009 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसर की गयी।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वादीगण की ओर से सूची 9ग से 10ग फोटो स्टेट इकरारनामा, 11ग फोटो स्टेट इकरारनामा, 12ग किराए की रसीद, 13ग फोटो स्टेट इकरारनामा, 14ग किराए की रसीद, 15ग फोटो स्टेट इकरारनामा, 16ग फोटो स्टेट इकरारनामा, व सूची 73ग से 74ग मूल इकरारनामा, 75ग मूल इकरारनामा, 76ग मूल इकरारनामा, 77ग कार्बन प्रति रजिस्ट्रेशन आवेदन–पत्र, 78ग मूल टेलीफोन डिमाण्ड नोट, 79ग/1 ता 9 मूल विद्युत बिल व जमा रसीद, 80ग मूल किराए की रसीद व सूची 81ग से 82ग/1 ता 5 नकल अर्जी दावा एस.सी.सी. नं0 1/15, 82ग/6 ता 10 नकल अर्जी दावा एस.सी.सी. नं0 2/15, दाखिल की गयी है।

मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू01 रामबोध विश्वकर्मा स्वंय वादी द्वारा साक्ष्य शपथपत्र 65क, पी0डब्लू02 सईद अहमद द्वारा साक्ष्य शपथपत्र 66क, पी0डब्लू03 राम सेवक शर्मा द्वारा साक्ष्य शपथपत्र 67क, पी0डब्लू04 राजेश कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य शपथपत्र 68क, पी0डब्लू05 लालमणि पाण्डेय द्वारा साक्ष्य शपथपत्र 69क, पी0डब्लू06 अब्दुल जब्बार द्वारा साक्ष्य शपथपत्र 70क व पी0डब्लू07 इस्तेखार अहमद द्वारा साक्ष्य शपथपत्र 71क प्रस्तुत किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्षी पी0डब्लू01 रामबोध विश्वकर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वादग्रस्त दुकान जो वादीगण की किरायेदारी में है उसको किराया पर उठाने के उद्देश्य से वादीगण के आजा स्व0 पं0 माता बदल पाण्डेय ने आज से 45 साल पूर्व तामीर कराया था और दुकान नं02 का किरायेदारी वादी नं01 है इस दुकान को स्व0 माता बदल ने दिनांक 01.11.77 को किराया पर वादी नं01 को उठाया उस में वादी नं01 की दुकान चल रही है जो वर्तमान में महेन्द्र ट्रेडर्स के नाम से जानी जाती है। पहले इस का नाम कलकत्ता आयर वकर्स था किराया की दर 100/– रूपये प्रति मास रही और उस का एकरार नामा नविस्ते पं0 माता बदल ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये एवं तीन हजार रूपया एडवान्स भी लिये। इस समय किराया 600/–रू0

प्रतिमास है। दावा के पूर्व का किराया सब प्रतिवादी को अदा है। कभी रसीद देते थे, कभी नहीं देते थे। जब तक प्रतिवादी के पिता एवं आजा जीवित थे, कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। वादी नं02 की दुकान का नं0 3 है, का किराया पहले 390/रू0 प्रतिमाह था, जो इस दुकान का वादीगण के पिता स्व0 कृष्ण मुरारी पाण्डेय ने एकरार नामा किरायेदारी लिख कर किराये पर दिया था। किराया की दर बाद में 600/–रू0 प्रति मास हो गया। वादी नं03 की दुकान का नं04 है। उसकी दुकान का किराया सन् 1997 ई0 से है मु0 60/–रू0 माहवार पर मौखिक रूप से दिया गया किरायेदारी के आधार पर काबिज है। अब किरायेदारी 600/–रू0 प्रतिमास हो गई है। वादी नं04 की दुकान नं0 5 का किरायेदार दिनांक 10.03.1978 से पं0 माता बदल पाण्डेय द्वारा दिये गये किरायेदारी के आधार पर किरायेदार एवं काबिज है। वादी नं04 की दुकान का नाम पिंक वाच कम्पनी है। वर्तमान में किराया की दर 600/–रू0 प्रतिमास है। वादी नं05 दुकान नं06 का किरायेदार है दिनांक 28.12.78 से पं0 स्व0 माता बदल के जमाने से 100/–रू0 प्रतिमास की दर से किराया तय हुआ, अब किराया की दर मु0 500/–रू0 प्रतिमास है। मु0 13500/–रूपये एडवान्स में 50/–रू0 प्रतिमास किराया में मुजरा होना भी निश्चित था। वादी नं06 दुकान नं0 8 किरायेदार 50/–रू0 माहवार पर किराया पर लिया था और अब 500/–रू0 माहवार किराया चल रहा है एवं काबिज है। दुकान नं09 का किरायेदार वादी नं07 है किरायेदारी दिनांक 10.11.78 से शुरू हुई एकरारनामा किरायेदारी स्व0 पं0 माता बदल पाण्डेय ने लिखा था पहले किरायेदारी की दर मु0 100/–रू0 प्रतिमास थी अब 500/रू0 प्रतिमास है। प्रतिवादीगण जबरन दुकान खाली कराना चाहते थे वादीगण को उन की रोजी रोटी से बंचित कर देना चाहते थे और बराबर धमकरी देने लगे एवं प्रयत्न शील रहे एवं विधिक प्रक्रिया न अपना कर जबरदस्ती बेदखल करने पर तुले है।

साक्षी पी0डब्लू02 सईद अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै दुकान नं0 4 का किरायेदार बहिसाब मु0 600/रू0 प्रतिमास हूॅ, किराया बराबर मालिक मकान को देता चला आ रहा हूॅ, कोई किराया

बाकी नहीं है। प्रतिवादी मालिक मकान द्वारा धमकी दिये जाने पर यह दावा दायर किया हूँ।

साक्षी पी0डब्लू03 राम सेवक शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै दुकान नं03 का किरायेदार मिनजानिब प्रतिवादी हूँ और बराबर किराया अदा करता चला आ रहा हूँ। कोई किराया बकाया नहीं है। मालिक दुकान बराबर किराया लेते हैं परन्तु रसीद नहीं देते हैं। मेरी किरायेदारी बहुत पुरानी सन् 1979 से चली आ रही है।

साक्षी पी0डब्लू04 राजेश कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै दुकान नं0 5 का किरायेदार प्रतिवादी मालिक दुकान की ओर से हूँ। किराया बराबर दे रहा हूँ कोई किराया बाकी नहीं है। प्रतिवादी मालिक मकान द्वारा धमकी दिये जाने पर यह दावा दायर किया है। धमकी बेदखल करने की अब भी जारी है। किराया पर पिता ने लिया था।

साक्षी पी0डब्लू05 लालमणि पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै दुकान नं09 का किरायेदार बहिसाब 500/- रू0 प्रतिमास हूँ और किराया बराबर अदा करता चला आ रहा हूँ। कोई किराया बकाया नहीं है। मालिक दुकान बराबर किराया लेते हैं परन्तु रसीद नहीं देते हैं। मेरी किरायेदारी बहुत पुरानी सन् 1979 से चली आ रही है। प्रतिवादीगण जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे थे तो यह दावा दायर किया।

साक्षी पी0डब्लू06 अब्दुल जब्बार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै दुकान नं08 का किरायेदार बहिसाब 500/-रू0 प्रतिमास हूँ और किराया बराबर अदा करता चला आ रहा हूँ। कोई किराया बकाया नहीं है। मालिक दुकान बराबर किराया लेते हैं परन्तु रसीद नहीं देते हैं। मेरी किरायेदारी बहुत पुरानी सन् 1979 से चली आ रही है। जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे थे, तो यह दावा दायर किया।

साक्षी पी0डब्लू07 इस्तेखार अहमद जो कि एक स्वतंत्र साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दुकान नं0 2 वादी सं01 के किरायेदारी में है। दुकान नं0 3 वादी सं02 के कब्जा में है। दुकान नं04 वादी नं03 के कब्जा में है। दुकान नं05 वादी सं04 सईद अहमद के किरायेदारी व कब्जा में है। दुकान नं06 वादी नं0 5 के किरायेदारी एंव कब्जा में है। दुकान

नं0 8 वादी नं06 के किरायेदारी एवं कब्जा में है। इसी प्रकार दुकान नु09 वादी सं07 की किरायेदारी एवं कब्जा में है। प्रतिवादीगण जबरन दुकान खाली करा लेने एवं कब्जा कर लेने की धमकी दे रहे हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त दुकान पर लम्बे समय से बतौर किरायेदार काबिज हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त अखण्डित मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय रूप से आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय रूप से आज्ञप्त किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि वे वादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन बेदखन ना करे। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी इस निर्णय का अंश होगा।

ह/–

दिनांक 21 जनवरी 2017

(रचना सिंह)
सि0जज(सी0डि0)/एफ.टी.सी.–2
प्रतापगढ़।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके उद्घोषित किया गया ।

ह/–

दिनांक 21 जनवरी 2017

(रचना सिंह)
सि0जज(सी0डि0)/एफ.टी.सी.–2
प्रतापगढ़।